तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20-05-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन उपरान्त प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली कैमल सुमार होकर बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2021
दायरा दिनांक 08.04.2025

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. चन्द्रकान्ता मीना पत्नी श्री रामकुमार मीणा जाति मीना निवासी एल0आई0सी0 ऑफिस के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–प्रार्थिया

बनाम

1. प्रेमलता सक्सेना पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति कायस्थ निवासी एल0आई0सी0 ऑफिस के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. नरेन्द्र सक्सेना पुत्र मन मुरारी लाल जाति कायस्थ निवासी एल0आई0सी0 ऑफिस के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
3. विकास सक्सेना पुत्र नरेन्द्र सक्सेना जाति कायस्थ निवासी एल0आई0सी0 ऑफिस के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1.श्री अब्दुल सत्तार – अधिवक्ता प्रार्थिया
2.श्री महेन्द्र रेबारी – अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3
3.अनपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही) – अप्रार्थी संख्या 4

दिनांकः– 20.05.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया की निजी स्वामित्व की कृषिभूमि खाता संख्या 135 के ख0सं0 1362 रकबा 0.25है0, ख0सं0 1370 रकबा 0.02है0, ख0सं0 1375 रकबा 0.16है0, ख0सं0 1384 रकबा 0.28है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.71है0 वाके ग्राम लाखेरी पटवार हल्का लाखेरी में स्थित है। प्रार्थिया संख्या 1 व 3 के खाते की भूमि खाता संख्या 292 के ख0सं0 1363 रकबा 0.18है0, ख0सं0 1368 रकबा 0.02है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20है0 वाके ग्राम लाखेरी पटवार हल्का लाखेरी में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि स्व0 नाथुलाल से क्रय की थी। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि खरीद के पश्चात क्रय की थी वर्ष 1985 में उक्त भूमि के मूल खातेदारान के द्वारा अपने खेतों में जाने के लिए मुख्य सड़क से 10फीट चौडा रास्ता छोडा गया था जिसका इकरारनामा 5रु के स्टाम्प

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

पर लिखा गया था इकरारनामे पर अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर है। प्रार्थिया की भूमि पर आने जाने का रास्ता 1363 व 1368 में ये 5–5फीट छोडा गया था ताकि पीछे के खेतों में आने जाने में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे रास्ता बंद हो जाने से नये विवाद उत्पन्न होंगे। अप्रार्थिगण ने न तो निर्माण कार्य की इजाजत नगरपालिका मण्डल लाखेरी से ली है और न ही कृषिभूमि रूपान्तरित करवायी है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थिगण से उक्त रास्ते पर निर्माण कार्य नहीं करने की कहने पर अप्रार्थिगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो रहे है। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद विषयक भूमि में से आने जाने के लिए 10फीट चौडे रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत दावा कानूनी रूप से मेंटेबल नहीं है तो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज योग्य है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है जिस पर अप्रार्थिगण का मकान बना हुआ है और बाउन्ड्रीवाल हो रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि नाथूलाल से सन् 1980 में क्रय की गई है उसके कुल वर्षों के बाद अभी प्रार्थिनी ने क्रय की है। प्रार्थिनी द्वारा जिस प्रकार के इकरारनामा के आधार पर 10फीट चौडा रास्ता का जिक्र किया जा रहा है वह नितान्त झूठा है, रहा सवाल रास्ता का जो अप्रार्थिगण की स्वामित्व व खातेदार अधिकार की भूमि ख0सं0 1363,1368 तक आने जाने के लिए है। यह रास्ता अप्रार्थिगण का निजी रास्ता है जिसका अप्रार्थिगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें प्रार्थिनी का कोई रास्ता नहीं है इसमें प्रार्थिया का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थिया द्वारा झूठे तथ्य लिखकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने लायक नहीं है तथा खारिज योग्य है। अप्रार्थिगण द्वारा अपने स्वामित्व व कब्जे की भूमि ख0सं0 1368, जिस पर अप्रार्थिगण की बाउन्ड्रीवाल हो रही है में आवश्यकता के अनुसार कमरे का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थिनी का तो ख0सं0 1370 पर मकान बना हुआ है तथा उसी के अडवां ही प्रार्थिनी की भूमि है जिसमें आती जाती है उसका प्रार्थिया के कब्जे व स्वामित्व की भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थिया द्वारा जिस इकरारनामा का आधार लेकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह केवल अप्रार्थिगण का है उस इकरारनामा में केवल 10फीट रास्ता है वह अप्रार्थिगण की भूमि व मकान तक ही आता है जिसमें प्रार्थिया का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिया को कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नहीं है, अप्रार्थिगण के विरूद्ध कोई वाद कारण पैदा नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि स्व0 नाथुलाल से क्रय की थी। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि खरीद के पश्चात क्रय की थी वर्ष 1985 में उक्त भूमि के मूल खातेदारान के द्वारा अपने खेतों में जाने के लिए मुख्य सड़क से 10फीट चौडा रास्ता छोडा गया था जिसका इकरारनामा 5रु के स्टाम्प पर लिखा गया था। प्रार्थिया की भूमि पर आने जाने का रास्ता 1363 व 1368 में ये 5–5फीट छोडा गया था ताकि पीछे के खेतों में आने जाने में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे रास्ता बंद हो जाने से नये विवाद उत्पन्न होंगे। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थिया अधिवक्ता की बहस का कडा विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है जिस पर अप्रार्थिगण का मकान बना हुआ है और बाउन्ड्रीवाल हो रही है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि नाथूलाल से सन् 1980 में क्रय की गई है उसके कुल वर्षो के बाद अभी प्रार्थिनी ने क्रय की है। प्रार्थिनी द्वारा जिस प्रकार के इकरारनामा के आधार पर 10फीट चौडा रास्ता का जिक्र किया जा रहा है वह नितान्त झूठा है, रहा सवाल रास्ता का जो अप्रार्थिगण की स्वामित्व व खातेदार अधिकार की भूमि ख0सं0 1363,1368 तक आने जाने के लिए है। प्रार्थिया द्वारा ख0सं0 1363,1368 में से 5–5फीट रास्ते का जिक्र किया गया है उक्त रास्ते का प्रार्थिया का कोई लेना देना नहीं है उनके खेतों पर जाने वाला रास्ता उनके खाते की कृषिभूमि खसरा संख्या 1370 पर बने मकान के पास से जाता है क्योंकि उनकी कृषिभूमि के अडवा ही उनका मकान है। प्रार्थिया के मकान तक जाने वाला आम रास्ता खुला है जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थिया के पास अपनी कृषिभूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है किन्तु वह झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थिगण को अपने कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर निर्माण करने से रोकना चाहती है जो कानूनन उचित नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञ विरूद्ध अप्रार्थिगण खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर 2019 आंध्रप्रदेश पेज संख्या 75 पेश किया।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खतौनी संख्या 292 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1363 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 1368 रकबा 0.02है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ के रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या 1,3 है। जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खतौनी संख्या 135 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा संख्या 1362 रकबा 0.25है0, खसरा संख्या 1370 रकबा 0.02है0, खसरा संख्या 1375 रकबा 0.16है0, खसरा संख्या 1384 रकबा 0.28है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ की रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थिया है। मुताबिक जमाबंदी खसरा संख्या 1370 रकबा 0.02है0 गैर मुमकीन मकान दर्ज है। पत्रावली में उपस्थित नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि प्रार्थिया द्वारा अपने खाते की जिस कृषिभूमि खसरा संख्या 1362,1384,1375 पर आने जाने के लिए रास्ता बताया गया है वह उसके खातेदार अधिकार की कृषिभूमि खसरा संख्या 1370 के लगा हुआ है जिसका जिक्र करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा यह तथ्य अंकित किया है कि प्रार्थिया का मकान जो खसरा संख्या 1370 में बना हुआ है उसके पास से उनके पास से उनकी खाते की भूमि पर जाने के लिए रास्ता वर्तमान में मौजूद है तथा उनके मकान तक जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत मौके की फोटोग्राफ के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थिगण द्वारा जहां निर्माण किया जा रहा है वह उनके कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर किया जा रहा है जहां उनके पूर्व से ही मकान बने हुए तथा चारों तरफ चार दीवारी की हुई, मौके पर रास्ता होना प्राथमिक दृष्ट्या प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार दिनांक 13.08.1985 को निष्पादित 5रु का अनरजिस्टर्ड हस्तलिखित सहमति इकरारनामा है जिसका अवलोकन किया गया जिसकी इबारत में यह अंकित है नाथूलाल पुत्र किशनाजी ने अपने हिस्से की जमीन नरेन्द्र सक्सेना पुत्र मदनमुरारी लाल सक्सेना को बेचान कर दिया है चूंकि सक्सेना जी को अपनी जमीन पर आने जाने के लिए 10फुट चौडे रास्ते आवश्यकता है

उपखण्ड अधिकारी

अतः हम सभी भाईयों ने सक्सेना जी की सुविधा को तथा हमारे लिए भी आम रास्ता अधिक चौडा रखने के लिए 10फुट का आम रास्ता हम सब भाईयों की आम सहमती से छोड दिया है। उक्त इकरारनामें के तीसरे पेरेग्राफ में यह अंकित किया है कि जमीन के प्रवेश द्वारा पर आने जाने के लिए लोहे की फाटक व अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते को पक्का बनाने का अधिकार सक्सेना जी को होगा। उक्त इकरारनामा नरेन्द्र सक्सेना जो कि अप्रार्थी संख्या 2 है व भूमि के पूर्व सहखातेदारान के मध्य सहमति से लिखा गया है जिसमें प्राथमिक दृष्ट्या खसरा संख्या 1363, 1368 में से आम रास्ता होने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किए न ही वर्तमान में प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार उक्त स्थान पर कोई गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। चूंकि प्रार्थिया जिस अनरजिस्टर्ड इकरारनामें को आधार बना कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहती है उस पर उसके कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र स्वयं ने यह तथ्य अंकित किए है कि प्राथिया ने अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा भूमि खरीद के पश्चात् क्रय की थी। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी अधिकार व कब्जे की भूमि में खसरा संख्या 1363,1368 में अप्रार्थिगण द्वारा निर्माण कार्य नहीं के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जो उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1,3 उक्त भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है जिन्हें उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे की भूमि है जिस पर अप्रार्थिगण के मकान एवं चारदिवारी बनी हुई है। प्रार्थिया प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्पष्ट करने में असफल रही है। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं प्रस्तुत तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अप्रार्थी संख्या 1,3 प्रश्नगत अराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 स्वीकार किया जान उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थिगण खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)